विलोपित विलोपित विलोपित

211

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~कैम्प सागर~~

R 4169 – I 16

श्रीमति निशा अहिरवार पत्नि श्री स्व0 मोतीलाल अहिरवार ,

निबासी तिली वार्ड सागर, जिला सागर म0प्र0, द्वारा कारंदाख,

आनंद तनय श्री तुलसीराम अहिरवार, R 4170-I-16

निबासी तिलीं वार्ड सागर जिला सागर म0 प्र0

................आवेदक

वनाम

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन,

रजिस्टर्ड ऑफिस– इंडियन ऑयल भवन, जी–09,

अली यावर जंगमार्ग बांद्रा, ईस्ट बॉम्बे महाराष्ट,

द्वारा संविदिक ऑटर्नी – श्री एस0 के0 नॉयर ,

................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर, जिला सागर द्वारा प्र0क0 1351/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका के नाम से सागर गैस ऐजेंसी के नाम से इंडियन ऑयल गैस सिलेंडर की डीलरशिप है। जिसका गोदाम बनाने वावद आवेदिका द्वारा ग्राम पिपरिया तह0 जिला सागर में खसरा कमांक 154 में रकवा 10010 बर्ग फुट जरिये बैनामा के अपने नाम से

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4170-एक-2016 जिला सागर निशा विरूद्ध इंडियन ऑयल कार्पो.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 1351/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 8/11/19 सदस्य	